अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या–79/2022
चन्द्र भूषण मिश्र
बनाम
बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं अन्य

उपस्थितिः–
श्री श्रीकान्त पाण्डेय .....अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री सरोज मिश्रा .....प्रतिवादी सं0–5 (स्वयं)।
श्री शशांक शेखर झा .....बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड की विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

अपीलार्थी चंद्र भूषण मिश्र, पिता–स्व0 सुरेश मिश्र, ग्राम–थाटवारा, थाना–अशोक पेपर मिल, जिला–दरभंगा (वर्तमान में महारानी लक्ष्मेश्वरी संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर, आनन्दपुर, दरभंगा के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत) ने बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक–3638, दिनांक 29.11.2021 (केवल अपीलार्थी के संबंध में) के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसके माध्यम से बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया कि प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में जिन शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति/प्रोन्नति में अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन्हें वेतनादि का भुगतान आदेश निर्गत की तिथि से किया जाए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रश्नगत आदेश पूर्व के आदेश के उलट/विपरीत तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन है एवं अपीलार्थी के संदर्भ में खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी की नियुक्ति संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा आचार्य की योग्यता रखने पर सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 25.08.2007 को की गई, जिसका अनुमोदन बोर्ड के पत्रांक–825, दिनांक 12.03.2010 द्वारा दिया गया था, जबकि कार्य अवधि के आधार पर दिनांक 07.09.2007 से वेतन भुगतान किया गया है, जिसका वेतन विपत्र साक्ष्य प्रबंध समिति के सचिव द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संलग्न है तथा बोर्ड के पत्रांक–420, दिनांक 17.01.2018 द्वारा उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर अनुमोदन दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्यालय की प्रबंध समिति ने अपनी बैठक सं0–4 के प्रस्ताव सं0–2, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया तथा बोर्ड को अनुमोदनार्थ उक्त प्रस्ताव को भेजा। बोर्ड के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–3110, दिनांक 27.09.2021 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया एवं

Viram

विभागीय ज्ञापांक–799, दिनांक 09.09.2020 के आलोक में निर्धारित वेतन देय होगा, यह स्पष्ट किया गया।

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त विभागीय ज्ञापांक–799, दिनांक 09.09.2020 के अंतर्गत जारी संकल्प द्वारा दिनांक 15.02.2011 के पूर्व विधिवत रूप से संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को षष्ठम् एवं सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति दी गई है। अपीलार्थी Category-B के संस्कृत विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक का वेतनमान–44,900/रू0 निर्धारित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा प्रसंगाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी के वेतन का भुगतान उनकी प्रोन्नति की तिथि से नहीं किया गया, जो कानून एवं नियमावली, 2015 के विरूद्ध है। यह अंकनीय है कि अपीलार्थी का वेतन विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा के समक्ष दिनांक 28.02.2020 की तिथि से प्रस्तुत किया गया, परंतु उनको भुगतान नहीं किया गया। यह भी बताना आवश्यक है कि प्रसंगाधीन पत्रांक–3638, दिनांक 29.11.2021 का कार्यान्वयन पत्र जारी करने की तिथि से भावी प्रभाव (Prospective effect) से होगा, न कि भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) से। अपीलार्थी को कोई सूचना अथवा कारण–बताओ जारी नहीं किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसे कई शिक्षक/प्रधानाध्यापक जिनका अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया गया है, वे प्रबंध समिति द्वारा नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से भुगतान ले रहे हैं परंतु अपीलार्थी के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा ने प्रसंगाधीन पत्र/आदेश के कारण भुगतान नहीं किया है एवं अपने पत्रांक–331, दिनांक 23.03.2022 द्वारा संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव से अपीलार्थी के मामले में मार्गदर्शन माँगा है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब बोर्ड ने प्रबंध समिति के प्रस्ताव (यथा–प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना) पर अनुमोदन दिया एवं वेतन भुगतान का आदेश दिया, तब बोर्ड पुनः अपने दिए गए आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता, यह कानूनी रूप से जायज नहीं है क्योंकि अर्ध–न्यायिक प्राधिकार (quasi-judicial authority) को अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है तथा ऐसा कोई प्रावधान संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम/नियमावली में भी नहीं है। बोर्ड केवल प्रबंध समिति के प्रस्तावों पर सकारण अनुमोदन देने अथवा अस्वीकृत करने का हकदार है।

उपर्युक्त आधार पर, बोर्ड का प्रसंगाधीन आदेश (केवल अपीलार्थी के संबंध में) खारिज किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी दिनांक 17.01.2018 से वेतन भुगतान का हकदार है।

<u>प्रतिवादी सं0–5 का पक्षः–</u>

प्रतिवादी सं0–5 ने पत्र के माध्यम से (पत्रांक–13, दिनांक 05.02.2024) अपीलार्थी के नियुक्ति एवं वेतन भुगतान संबंधी तथ्यों की संपुष्टि करते हुए बताया कि अपीलार्थी को प्रबंध

Vijay

समिति के उक्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 17.01.2018 से वेतनादि की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका अनुमोदन बोर्ड के ज्ञापांक–3110, दिनांक 27.09.2021 के द्वारा दिया गया है।

बोर्ड का पक्षः–

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बोर्ड का प्रसंगाधीन आदेश सही एवं वैध है तथा इसमें कोई विसंगति नहीं है। यह अपील पोषणीय नहीं है। वादी को यह अपील दायर करने हेतु कोई Cause of action नहीं है। अतः इस अपील के निराधार होने के आलोक में इसे खारिज किया जाए।

निष्कर्षः– सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को विभिन्न तिथियों पर सुना। सभी पक्षों के लिखित जवाब, मौखिक बहस एवं संचिका में रक्षित साक्ष्यों/तथ्यों के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने बोर्ड के पत्रांक 3638, दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध यह अपील दायर की है।

अपीलार्थी का दावा है कि उन्हें प्रसंगाधीन विद्यालय की प्रबंध समिति के बैठक सं0–4 के प्रस्ताव सं0–2, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत्ति दी गई थी, जिसे बोर्ड के ज्ञापांक 3110, दिनांक 27.09.2021 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् बोर्ड ने पत्रांक 3638, दिनांक 29.11.2021 जारी कर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से अनुरोध किया कि प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में जिन कतिपय शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति/प्रोन्नति में अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन्हें वेतनादि का भुगतान आदेश निर्गत की तिथि से किया जाए। उक्त प्रश्नगत पत्रांक उनके अनुमोदन की तिथि के बाद जारी हुआ है, अतः उनके प्रोन्नत्ति के मामले में प्रभावी नहीं होगा।

अपीलार्थी ने यह भी बताया कि उनकी नियुक्ति उक्त विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 25.08.2007 को की गई, जिसका अनुमोदन बोर्ड के पत्रांक–825, दिनांक 12. 03.2010 द्वारा दिया गया था, जबकि कार्य अवधि के आधार पर दिनांक 07.09.2007 से वेतन भुगतान किया गया है, जिसका वेतन विपत्र साक्ष्य प्रबंध समिति के सचिव द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने C.W.J.C No. 985/2015 में पारित दिनांक 27.03.2019 के आदेश द्वारा, जिसमें राज्य सरकार के संकल्प दिनांक 31.08.2013 को चुनौती दी गई थी जो भूतलक्षी प्रभाव अर्थात दिनांक 15.02.2011 से लागू करने की बात की गई थी, यह धारित किया गया कि यह संकल्प उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो दिनांक 31.08.2013 के पूर्व नियुक्त हुए थे एवं वेतनमान प्राप्त कर रहे थे।

अंकनीय है कि सेवा संबंधी न्यायशास्त्र में सामान्य नियम यह है कि सेवा शर्त्तों में परिवर्तन "लागू होने की तिथि से भावी रूप से प्रभावी होते हैं, न कि पूर्वव्यापी रूप से"। बोर्ड

का प्रश्नगत आदेश अपीलार्थी को दिए गए अनुमोदन की तिथि के पश्चात् जारी किया गया था, अतः यह आदेश अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 3638, दिनांक 29.11.2021 अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होगा। एतदर्थ, इस अपील को स्वीकृत किया जाता है एवं उपरोक्त प्रश्नगत आदेश को (केवल अपीलार्थी के संबंध में) निरस्त किया जाता है एवं इस अपील की सुनवाई समाप्त की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 71 दिनांक 20/05/2026

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, 17, बैंक हार्डिंग रोड, पटना/चंद्रभूषण मिश्र, पिता–स्व0 सुरेश मिश्र, ग्राम–थटवारा, थाना–अशोक पेपर मिल, जिला–दरभंगा/सचिव, प्रबंध समिति, महारानी लक्ष्मेश्वरी संस्कृत प्राथमिक–सह–मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), दरभंगा/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

VIJAY 20/5/26
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।